कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

4298
31.3.15

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, परसा

OSD (K)

06 APR 2015
3023

महाशय,

नगर पंचायत, परसा के वर्ष अगस्त 2010 से नवम्बर 2014 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1203 / 14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

31 MAR 2015

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

ह0

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

507
6/04/15

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14492 / 2268 दिनांक– 17.03.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सारण

17/3/15

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

232
8/4/15

नगर पंचायत परसा
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–1203/14–15
अवधि–अगस्त 2010 से नवम्बर 2014

भाग – I

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :– नगर पंचायत, परसा
2. लेखा की अवधि :– अगस्त 2010 से नवम्बर 2014 तक
3. लेखापरीक्षा का उददेश्य :– अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किया गया पंजी व अभिलेख की सूची परिशिष्ट– I में एवं अप्रस्तुत अभिलेख जिसकी जांच नहीं की गई की सूची परिशिष्ट– II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :– 24.12.14 से 31.12.14
5. प्रशासन :–

1)1) मुख्य पार्षद का नाम	**अवधि**
क) श्री मति सुमन्ती देवी	अगस्त 2010 से नवम्बर 2014 तक

2) उपमुख्य पार्षद का नाम	**अवधि**
क) श्री मति मुन्नी खातुन	अगस्त 2010 से नवम्बर 2014 तक

3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी	**अवधि**
श्री अरूण कुमार राय	01.12.2012 से 13.02-2013 तक
श्री अवधेश कुमार नेपाली	14.02.2013 से नवम्बर 2014 तक

6. लेखापरीक्षा दल के सदस्य

1. श्री राजेश कुमार– III (स0ले0प0अ0)
2. श्री रंजीत कुमार (स0ले0प0अ0)
3. श्री संगम तिवारी (ले0प0)

7 **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन**

नगर पंचायत परसा का यह प्रथम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है।

8 **अंकेक्षण टिप्पणी**

नगर पंचायत, परसा बाजार सारण की लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान पंजी, अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं

किया गया था। मॉग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृति कर की वसुली हेत अपेक्षित प्रयास किए जाएँ। नगर पंचायत,परसा बाजार प्रशासन से अनुरोध है कि उपरोक्त पंजियों का विहित संधारण यथाशीघ्र किया जाये। अवरोधित राशि का उपयोग नही किया जा रहा था। नगर निगम प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

9 **कार्यपालक से वार्तालाप की गई** :– हाँ (31.12.14)

10 **लेखापरीक्षा का परिणाम** :–

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि–शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि– रु0 71551.00

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– रु0 4779293.00

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट सं0–4 पर है।

11 **बजट** :– अप्रस्तुत

12 **वित्तीय विवरण और बैलेंश शीट**:– तैयार नहीं किया गया।

13. आय– व्यय

नगर पंचायत द्वारा वार्षिक लेखा अनुदान पंजी आदि संधारित नहीं किया गया था। परंतु लेखापरीक्षा में उपलब्ध सामान्य रोकडबही के अनुसार आय– व्यय निम्न है –

	2011–12	**2012–13**	**2013–14**	**2014–15**
प्राप्त शेष	–	1012401	29310198	47487718
प्राप्ति	1012649	37587638	27601586	2148401
अन्य	–	3950	14361	50000
कुल	1012649	38603989	56926145	49686119
व्यय	–	9293463	9429962	5345256
अन्य	248	328	8465	325957
अंतशेष	1012401	29310198	47487718	44014906 (30.11.14)

पासबुक विवरणी –

क0 सं0	मद	खाता सं0	बैंक	अंतशेष राशि	
1	BRGF	32670233569	SBI	1462375	30.11.14
2	13th+SJSRY	32854729863	SBI	2743681	30.11.14
	13th	32670232612	SBI	8595100	30.11.14
3	चतुर्थ	32670231471	SBI	27683	30.11.14
4	कबीर अंतेष्टि (पुराना) में संधारित				
5	Try. Passbook	Not available			
6	शिक्षक मानदेय	32549404048	SBI	918709	30.11.14
7	राजस्व	33735103304	SBI	119654	5.4.14
8	अन्य सभी मद (पुराना)	31787912331	SBI	1370681	30.11.14

लेखापरीक्षा अभियुक्ति –

1. 30.11.14 को रू0 44014906/– अव्यवहृत थी ।
2. 13th एवं SJSRY को एक ही पासबुक में संधारित किया गया था।
3. पुराना SBI A/c में सभी मद की राशि संधारित की जा रही थी (30.11.14) को रू0 1370681 की राशि अवशेष है। सभी मद की अलग–अलग पासबुक में राशि संधारित नहीं किया गया है।
4. रोकड़बही एवं पासबुक के अंतशेष (30.11.14) का समाधान नहीं किया गया था।
5. Try. Pass Book statement लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया था।

जवाब दिया गया कि –

1. शेष बची राशि की व्यय संबंधी प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
2. क्रमांक ।। और ।।। के आपत्ति के आलोक में अलग– अलग पासबुक संधारित किये जायेंगे।
3. रोकड़बही एवं पासबुक के अन्तर का समाधान कर अगले लेखापरीक्षा में उपलब्ध कर प्रस्तुत की जायेगी।
4. ट्रेजरी पासबुक या स्टेट बैंक पासबुक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अतः उपर्युक्त त्रुटियों का निराकरण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

U/0

भाग– II (क) – शुन्य
भाग– II (ख)

1. 13वीं वित्त (ओल्ड एज होम)

लेखापरीक्षा में उपलब्ध ओल्ड एज होम संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि एक निविदादाता द्वारा निविदा डाला गया। नोटशीट के अनुसार संवेदक को अग्रधन राशि के साथ कुल रू0 1889176 का भुगतान किया गया । विवरण निम्न है –

क0सं0	चेक सं0/ दिनांक	राशि (रू0)
1	974747/8.7.13	182914
2	974149/7.8.13	600247
3	447983/28.9.13	265398
4	447984/2.11.13	496129
5	447986/7.2.14	215600
6	447995/16.6.14	25791
7	447999/7.8.14 (S.O.)	103097
कुल		1889176

प्रा0 राशि : 2061937/– रू0 – संवेदक : श्री धर्मेन्द्र कुमार साह ।

<u>लेखापरीक्षा अभियुक्ति</u> :–

1. एकल निविदा – बिहार लोक निर्माण संहिता के ''नियम 163'' के अनुसार एकल निविदा की स्थिति में एकल निविदा अपने से उच्चतर प्राधिकारी से स्वीकृत करना आवश्यक है। परंतु उक्त नियम का पालन नहीं करके एकल निविदा कर कार्य का आदेश दिया गया ।
2. आयकर – नोटशीट एवं मापी पु0 के अनुसार करों की कटौती विवरण के अंतर्गत कुल रू0 32836 की कटौती की गई थी परंतु रू0 41239 (रू0 212698+ 701447+ 307450+ 564571+ 246209+ 29561) = (2061936 x 2%) कटौती की जानी थी । इस प्रकार संवेदक से रू0 8403 की कम कटौती की गई थी। इसकी वसूली संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति से की जाये।
3. अल्पकालिक निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/13–14 के क0सं0–23 के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों के उनके कार्य में त्रृटि सुधार की वाध्यता के लिए 36 माह की होगी तत्पश्चात जमानत की राशि विमुक्त की जानी थी, परंतु कार्य समाप्ति के दो माह के भीतर जमानत राशि रू0 103097 भुगतान कर दिया गया।
4. दिनांक 29.04.13 को निविदा खोला गया। परंतु संचिका में निविदा किसके समक्ष खोला गया इसका विवरण संबंधित प्रति नहीं पाया गया।
5. निविदा संबंधित कोटेशन समाचार पत्र में प्रकाशित होना था। ओल्ड एज संबंधित कोटेशन समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं हुआ था।
6. कार्यादेश में पत्रांक– एवं दिनांक–   का कोई वित्रण नहीं पाया गया।

जवाब दिया गया कि –

1. जानकारी के अभाव में एकल निविदा किया गया है।

2. क0सं0 2 से 6 तक जॉचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

जवाब संतोषप्रद नहीं है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में समुचित कार्रवाई किये जाने तक राशि रू0 1889176.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

2. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन में अनियमिततायें

लेखापरीक्षा में उपलब्ध SJSRY अभिलेख के नमूना जॉच में पाया गया कि SJSRY के तहत प्रशिक्षण देने के लिए तीन संस्था का चयन किया गया एवं तीनों संस्था के साथ एकरारनामा किया गया। परंतु दो संस्था को प्रशिक्षण देने के लिए भुगतान किया गया था। विवरण निम्न है –

क0सं0	चेक सं0 / दिनांक	राशि(रू0)	अभियुक्ति
1	666651 / 9.4.13	1000000	जनहित सांस्कृतिक
2	666652 / 9.4.13	400000	दरोगा प्र0 राय महिला प्रशि0 केन्द्र
3	666653 / 13.6.13	800000	जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र
4	666654 / 13.6.13	460000	दरोगा प्र0 राय महिला प्रशि0 केन्द्र
	कुल	2660000	

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

1. संबंधित संचिका के नोटशीट के अनुसार प्रशिक्षण के लिए तीन संस्था को एकरारनामा कर सिर्फ दो संस्था को उपर्युक्त राशि का भुगतान किया गया।
2. संस्था को प्रशिक्षण दिए जाने संबंधित आदेश प्रति संचिका में नहीं था।
3. जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र के साथ एकरारनामा में किस ट्रेड में प्रशिक्षण देना है, इसका कोई वर्णन नहीं पाया गया।
4. संस्था के भुगतान राशि रू0 2660000/– के अभिश्रव लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
5. प्रशिक्षण देने वाली संस्था के शाखा नगर पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं था। एकरारनामा में जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र के शाखा स्थान का कोई वर्णन नहीं पाया गया।
6. एकरारनामा के अनुसार संस्था द्वारा 70 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराना था। लेकिन कितने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया।

जवाब दिया गया कि –

जॉचोपरान्त इस संबंध में कार्रवाई की जायेगी।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं की विभागीय जॉच करवाई जाये तथा जॉच के फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाये। तबतक राशि रू0 2660000/– को आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

3. 13वें वित्त आयोग की राशि का विचलन रू0 2.30 लाख

सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जिस मद की राशि आवंटित हुई है, उसी मद में खर्च की जानी चाहिए थी। परंतु 13वें वित्त आवंटन की राशि का व्यय अन्य मद में किया गया है, विवरण निम्न है –

18

क्र0 सं0	मद	राशि	अभ्युक्ति	चेक नं./दिनांक
1	13वीं वित	196093	फर्नीचर क्रय हेतु	974126/9.1.13
2	13वीं वित	5712	---तथैव---	974131/22.2.13
3	13वीं वित	5000	कार्यालय के दरबाजा, कपडा, पर्दा पर व्यय	974144/13.6.13
4	13वीं वित	20763	वायरिंग कार्य	447987/12.2.14
5	13वीं वित	2549	पुस्तक क्रय व्यय	
	कुल	**230117**		

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

उपर्युक्त 13वीं वित्त मद की राशि का व्यय अन्य मदों में किया गया।

जवाब दिया गया कि –

जानकारी के अभाव में राशि का एक मद से दूसरे मद में व्यय किया गया था इसकी प्रतिपूर्ति की कार्रवाई की जायेगी।

अतः राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने तक राशि रू0 2.30 लाख आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

4. आयकर की कटौती नहीं रू0 0.63 लाख

नगर पंचायत के अंकेक्षण में उपलब्ध कराने गए अभिलेख संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि योजनाओं में आयकर की कटौती कुल भुगतान का 1 प्रतिशत किया गया है। पर संवेदक के कुल भुगतेय राशि का 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। (परिशिष्ट– III)

इस प्रकार कुल राशि रू0 79,897/– की आयकर की कटौती कम की गई।

अंकेक्षण टिप्पणी –

आयकर की कुल कटौती योग्य राशि रू0 128822/– के विरूद्ध मात्र राशि रू0 65674/– की ही कटौती की गई थी। तथा रू0 63148/– की कम कटौती की गई थी। करों से संबंधित पंजी का संधारण नहीं किये जाने के कारण करों की वसूली जमा की वास्तविक स्थिति को ज्ञात नहीं किया जा सका।

जवाब दिया गया कि –

1. अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति से वसूली कर सूचित किया जायेगा।
2. कर कटौती के पंजी का संधारण किया जायेगा।
3. शेष कर कटौती का गणना कर संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया जायेगा।
4. योजनाओं में फोटोग्राफी और विडियोग्राफी नहीं करवाने के कारण कनीय अभियन्ता से पूछा जायेगा।

अतः संबंधित व्यक्ति से राशि रू0 63148/– वसूलनीय है।

5(क) अग्रिम रू0 3.60 लाख

नगर पंचायत द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था। परंतु रोकड़ वही के अनुसार विभिन्न कर्मचारियों को विभिन्न कार्य के लिए अग्रिम दिया गया था। परंतु उसका अभी तक समायोजन नहीं किया गया है। विवरण निम्न है –

क0 सं0	**रोकड बही दिनांक**	**राशि**	**अभियुक्ति**
1	2.5.2014	250000	श्री मुकेश दास को लोक सभा आम चुनाव के लिए
2	24.10.2014	110000	श्री पवन कुमार सिंह को छठ पर्व के अवसर पर सफाई कार्य हेतु
	कुल	**360000**	

उपर्युक्त अग्रिम राशि का समायोजन अंकेक्षण अवधि तक नहीं किया गया था ।

जवाब दिया गया कि –

संबंधित व्यक्ति को दिये गये अग्रिम का सामंजन किया जायेगा एवं अभिश्रव प्राप्त की जायेगी। अतः अग्रिम राशि रू0 360000/– का समायोजन/वसूली कर अगले लेखा परीक्षा में संबंधित दस्तावेजों को दिखाया जाये।

(ख) अवितरित वृद्धा पेंशन की अग्रिम राशि का वापस जमा नहीं –

अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गए इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धवस्था पेंशन (सामान्य घटक) के तहत श्री मुकेश दास, प्रधान लिपिक को पृष्ठ सं0 4 दिनांक 16.7.14 को पेंशन बॉटने हेतु रू0 17,00,000 विभिन्न चेकों के द्वारा दिया जिसका विवरणी निम्न है –

चेक सं0/दिनांक	**राशि (रू)**
907401/	500000
907404/	500000
907403/	500000
907408/	200000
कुल	1700000

		1700000
पेंशनरों को वितरित राशि	1459200	
	104000	
	2400	
	1565600	1565600
अवशेष राशि		134400

अंकेक्षण टिप्पणी –

राशि रू0 134400/– का वितरणा नहीं किये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। अतः इसे यथाशीघ्र संबंधित व्यक्तियों को वितरित किया जाये अथवा इसे अविलम्ब नगर निकाय निधि में वापस जमा किया जाये। संबंधित दस्तावेजों को अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

6. निरस्त

6

TAN

1. राशि का अवरोधन रू0 65.44 लाख

लेखापरीक्षा में उपलब्ध रोकड़वही के अनुसार विभिन्न मद में आवंटित राशि प्राप्त हुई थी परन्तु इसका व्यय अभी तक नहीं किया गया था और राशि अवरूद्ध थी, विवरण निम्न है –

क्र0सं0	रोकड़ बही दिनांक	मद	राशि(रू0)	अवरूद्ध माह
1	14.2.14	पेशाकर	698398	9 माह
2	31.3.14	प्रशासनिक भवन	3773500 2366500	8 माह 8 माह
3	6.8.13	अस्वच्छ कार्य	6000	15 माह
		कुल	**6844398**	

उपर्युक्त आवंटित राशि अभी तक अवरूद्ध पड़ी हुई थी।

जवाब दिया गया कि –

अवरूद्ध राशि सरकारी दिशा निर्देशानुसार व्यय या सरकार को वापस लौटाने की प्रकिया की जायेगी।

अतः सरकार के निर्देशानुसार अनुदान की राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2. मोबाईल कंपनियों पर बकाया

मोबाइल टावर से संबंधित लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये गये संचिका के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत 06 कम्पनियों का अधिष्ठापन पाया गया। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जारी बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना
नियमावली, 2012 के अनुसार अधिष्ठापन, नवीकरण एवं बिलम्ब शुल्क का गणना करने के बाद अगस्त 2010 (स्थापना से) नवम्बर 2014 तक राशि रू0 7,81,514/– विभिन्न कम्पनियों पर है।

अंकेक्षण टिप्पणी –

1. नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित मोबाईल टावर का सर्वे कब– कब कराया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया।
2. मोबाईल टावर के शुल्क वसूली हेतु अबतक मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था।
3. शुल्क वसूली हेतु अबतक किए गए प्रयासों से अवगत नहीं कराया गया ।

   जवाब दिया गया कि –

   सर्वे करवाया जायगा. मांग एवं वसूली का पंजी का संधारण किया जायेगा तथा शुल्क वसूली के लिए प्रयास किया जायेगा ।

अत रू0 7,81,514/–शुल्क वसूली कर अगले अंकेक्षण में संबंधित दस्तावेजों को दिखाया जाये।

3. नगर पंचायत में करारोपण नहीं किये जाना

नगर पंचायत परसा बजार की स्थापना अगस्त, 2010 में हो चुकी थी, एवं बोर्ड भी इन चार वर्षों में कियान्वित थी । परन्तु नगर पंचायत द्वारा राजस्व /आय के स्रोत उदाहरणतः "विज्ञापन शुल्क, व्यवसाय शुल्क, भयावह शुल्क, सब्जी–आढत कर, अतिक्रमण शुल्क, मार्केट–मॉस खाना कर इत्यादि की वसूली अथवा निर्धारण के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया ।

नगर पंचायत द्वारा अबतक इन स्रोतों में से किसी पर भी वसूली के प्रयास न किये जाने से भारी राजस्व की क्षति हो रही थी।

जवाब दिया गया कि –

राजस्व उगाही से संबधित प्रयास किए जाएंगे।

अतः करों की वसूली हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाये।

4. होल्डिंग कर निर्धारण/मूल्यांकन एवं वसूली नहीं किया जाना

नगर पंचायत, परसा बाजार की स्थापना अगस्त 2010 में हुआ था । परसा बाजार के नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत कुल 22 वार्ड हैं ।

बिहार नगरपालिका के होल्डिंग कर से संबंधित अधिनियम में यह स्पष्ट है, कि नगरपालिका को उसके क्षेत्र में भवनों से उसके उपयोग, निर्माण एवं स्थिति के अनुसार उस भवन के मालिक से होल्डिंग कर की वसूली करनी होती है ।

कार्यालय द्वारा इसकी वसूली की जाती है या नहीं इसे लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

जवाब दिया गया कि – आपत्ति के आलोक में होल्डिंग कर से संबंधित सर्वे कराकर वसूली संबंधी प्रकिया अपनाई जायेगी।

अतः होल्डिंग कर का यथाशीघ्र अधिरोपण किया जाये जिससे नगर पंचायत निधि के राजस्व में वृद्धि हो।

–हस्ता0–
(राजेश कुमार)
स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
––––सह––––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

नगर पंचायत (परसा)

(परिशिष्ट - I)

कंडिका सं० 3 में संदर्भित

प्रस्तुत अभिलेख जिसकी नमूना जाँच अंकेक्षण में किया गया :-

(1) सामान्य रोकड़ बही, पास बुक / बैंक स्टेटमेंट
(2) अभिश्राव (आंशिक)
(3) मोबाइल टावर संचिका / निबंधनी
(4) योजना अभिलेख (आंशिक)
(5) SJSRY
(6) जन्म - मृत्यु पंजी / अभिलेख
(7) पेंशन अभिलेख

AAO

ग्राम पंचायत परसा (सारण)

परिशिष्ट - II

कंडिका सं० 3 में संदर्भित

अप्रस्तुत अभिलेख जिसकी नमूना जाँच अंकेक्षण में नहीं किया गया:-

(1.) बजट
(2.) वार्षिक लेखा।
(3.) भंडार पंजी
(4.) स्वीकृत एवं कार्यरत बल सूची
(5) दैनिक संग्रहण पंजी
(6.) माँग वसूली पंजी
(7.) म्युटेशन पंजी
(8.) जमीन पंजी
(9.) लाइसेंस पंजी
(10) हस्त माँग पंजी
(11.) विविध माँग पंजी
(12.) प्राप्ति रजिस्टर
(13.) सरकारी ऋण पंजी
(14) सरकारी अनुदान पंजी
(15) सरकारी विनियोग पंजी
(16.) निवेश पंजी
(17.) लेखापरीक्षा पंजी
(18.) सेवा पुस्तिका
(19.) पीएफ लेखा/ खाता
(20) जब, पंजी

A AO

आयकर की कम कटौती का विवरणी

(विवरणी सं० 2)
(कंडिका 18 से संबंधित)

मद: BRGF

क्र०सं०	संवेदक का नाम	योज०सं०/कार्य का नाम	कुल भुगतान राशि	काटा गया आयकर	आयकर (2.26%)	आयकर (2%)	
(1)	मो० अजमुल्लाह	01/13-14 ग्राम टेरुआ शिव मंदिर से बालेश्वर कुआँ के घर तक PCC कार्य	382132	3821	[8636] 7643	[4815]	3822
(2)	—तदैव—	02/13-14 मस्जिद दुकान तक ... का PCC कार्य निर्माण	492,263	4923	[11,125] 9845	[6202]	4922

मद: 4th वित्त आयोग

क्र०सं०	संवेदक का नाम	योज०सं०/कार्य का नाम	कुल भुगतान राशि	काटा गया आयकर	आयकर (2.26%)	आयकर (2%)	
(3)	श्री शिवकुमार सिंह	06/13-14 वार्ड ... में सोलिंग कार्य	201872	2019	[4562] 4037	[2543]	2018
(4)	श्री रामनरेश कुमार	07/13-14 वार्ड सं० 10 में PCC कार्य	494588	4946	[11178] 9892	[6232]	4946
(5)	—तदैव—	08/13-14 वार्ड सं० 11 में PCC कार्य	153,547	1535	[3470] 3071	[1935]	1536
(6)	श्री शोभनाथ राम	09/13-14 वार्ड सं० 12 में PCC कार्य	391248	3912	[8842] 7825	[4930]	3913
(7)	श्री राम नरेश कुमार	10/13-14 वार्ड सं० 13 में PCC कार्य	281722	2817	[6367] 5634	[3550]	2817
(8)	श्री जितेन्द्र कुमार	12/13-14 वार्ड सं० 16 में PCC कार्य	275612	2756	[6229] 5512	[3473]	2756
(9)	— " —	13/13-14 वार्ड सं० 17 में PCC कार्य	266353	2664	[6020] 5327	[3356]	2663
(10)	श्रीमति उषा देवी	15/13-14 वार्ड सं० 19 में PCC कार्य	307862	3079	[6958] 6157	[3879]	3078
(11)	—तदैव—	18/13-14 वार्ड सं० 22 में PCC कार्य	326,444	3264	[7378] 6529	[4114]	3265
(12)	श्री रविन्द्र कुमार राम	03/13-14 वार्ड सं० 8 में सोलिंग कार्य	246550	2465	[5572] 4931	[3107]	2466
(13)	श्री चन्द्र प्रकाश कु०	02/13-14 वार्ड सं० 07 में PCC कार्य	374818	3748	[8471] 7496	[4723]	3748
(14)	श्री उदय शंकर राम	05/13-14 वार्ड सं० 06 में PCC कार्य	304872	3049	[6890] 6097	[3841]	3048
(15)	श्रीमति उषा देवी	16/13-14 वार्ड सं० 20 में PCC कार्य	342851	3429	[7748] 6857	[4319]	3428
(16)	श्री रविरंजन सिंह	03/13-14 वार्ड सं० 22 में नाला...	17,24,448	17247	[[illegible]] 34969	[8878]	17222

कुल राशि [79,897]

128822 63148

रणजीत कुमार

विवरणी सं0– 4
लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका– 11 से संदर्भित

क्र0 सं0	कंडिका सं. भाग– II(ख)	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गई राशि	वसूली हेतु सुझायी गई राशि	आपत्ति के अधीन रखी गई राशि
1	1	---	8403.00	1889176.00
2	2	---	---	2660000.00
3	3	---	---	230117.00
4	4	---	63148.00	---
	कुल	शून्य	**71551.00**	**4779293.00**